



ई-मेल -dpro-kh-bih@nic.in

समाहरणालय, खगड़िया



दूरभाष- 06244-226182

जिला पंचायत शाखा

आदेश

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4प/ग्रा0क0स्था0-80-07/2024/8006/ पं0रा0 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा वैसे ग्राम कचहरी जहाँ ग्राम कचहरी सचिव का पद रिक्त है, वहाँ बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 की कंडिका-03 के आलोक में संविदा पर नियोजन करने का निदेश प्राप्त है। अनुमोदित आरक्षण के आधार पर प्रखंडों में ग्राम कचहरी सचिव की रिक्तियाँ निम्नवत हैं :-

क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायत सं0 एवं नाम	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण श्रेणी	अभ्युक्ति
1	अलौली	रामपुर अलौली	117	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
		दहमा खैरी खुटहा	118	पिछड़े वर्गों की महिलायें	
02	खगड़िया	रानीसकपुरा	119	गैर आरक्षित	
		गौडाशक्ति	120	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
03	चौथम	रोहियार	121	गैर आरक्षित	
		चौथम	122	पिछड़े वर्गों की महिला	
04	गोगरी	पैकांत	123	गैर आरक्षित	
05	परवत्ता	देवरी	124	गैर आरक्षित	
		महद्वीपुर	125	गैर आरक्षित	
		वैसा	126	पिछड़े वर्गों की महिला	

अतः ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन हेतु अनुमोदित आरक्षण रोस्टर बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली 2014 के कंडिका-03 के आलोक में नीचे लिखे कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की कार्यवाई सुनिश्चित करें :-

1. आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि :- 26.12.2024 से 09.01.2025
2. आवेदन पत्र प्राप्त करने का स्थल :- संबंधित प्रखंड कार्यालय।
3. प्राप्त आवेदन के आधार पर पैनल निर्माण एवं प्रकाशन :- 10.01.2025 से 13.01.2025
4. पैनल पर समिति का अनुमोदन :- 14.01.2025
5. समिति से अनुमोदनो उपरांत जिलाधिकारी, के सूचना पट पर प्रकाशन :- 15.01.2025 से 17.01.2025
6. पैनल पर आपत्ति की तिथि :- 18.01.2025 से 31.01.2025 तक
7. आपत्ति का निराकरण :- 01.02.2025 से 08.02.2025
8. अंतिम रूप से पैनल का प्रकाशन :- 10.02.2025 से 17.02.2025
9. काउन्सिलिंग :- 18.02.2025 से 22.02.2025
10. चयनित सूची का प्रकाशन :- 24.02.2025
11. समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की संविदा पर नियोजन हेतु पत्र निर्गत करना :- 24.02.2025 से 28.02.2025

अनुलग्नक :- विभागीय नियमावली की छायाप्रति संलग्न।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक.....1746...../पं०, दिनांक.....17/12/24.

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया जिला को बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली 2014 के कंडिका 03 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति जिला के वेबसाईड पर भी प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिलाधिकारी,
खगड़िया।